:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल RAS

मुकदमा नम्बर 12 / 2024 दायर दिनांक : 28.02.2024

जयसिंह पिता भेमा जाति डामोर उम्र वयस्क निवासी भैंसला तहसील सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर राज.।

––प्रार्थीगण

बनाम

श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम
सपठित धारा 151 जा.दी

उपस्थित :–

1. श्री श्रवण रावल अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: आदेश :: दिनांक 23 / 07 / 2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव भैंसला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। प्रार्थी खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा भैंसला में खाता संख्या 48, खसरा नम्बर 357, 358 खेत किता 2 कुल रकबा 2.1772 हैक्टेयर में से 1 / 2 हिस्से पर प्रार्थी अपने पारिवारिक बंटवारे में आए हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र कारण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से एक सप्ताह पूर्व प्रार्थी ने अपने के कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी में काश्त करने गये तो कतिपय अन्य लोग उक्त आराजी में आकर उक्त आराजी की भुमी को अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर प्रार्थी ने कहा कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन कतिपय लोग जबरन विवाद करने लगे। कतिपय लोग जबरन अवैध अतिक्रमण कर पत्थर डाल रहे है। प्रार्थी ने समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए तथा जबरन विवाद कर वादग्रस्त आराजी को अपनी बताने लगे तथा प्रार्थी की आराजी सीमा पर निशानदेही होने के बावजुद सीमा विवाद कर रहे है। ऐसे में प्रार्थी की खातेदारी आराजी की पत्थर गढी कर सीमाकींत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी की आराजी में सीमा विवाद करने लगे। जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थर गढी करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी होने से जबरन झंगडा फंसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भुमि पर अतिक्रमण करने प्रार्थी से झंगडा फंसाद व जान से मारने की धमकीया देते है। जबकि प्रार्थी की रिकॉर्डेड आराजी है। जिस पर विवाद करने से लगातार विवाद

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

बढ़ने से प्रार्थना पत्र कारण लगातार उत्पन्न होने लगा। प्रार्थी के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा प्रार्थी का परिवार मुखा मर जाएगा। प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि वे प्रार्थीगण आराजी मौजा मैसला में खाता संख्या 48, खसरा नम्बर 357, 358 खेत किता 2 कुल रकबा 2.1772 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से में पारिवारिक बंटवारे में आए हिस्से की भुमि पर किसी प्रकार का विवाद नही करे व प्रार्थी को काश्त में रूकावट उत्पन्न नहीं करे। प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी आराजी मौजा भैंसला में खाता संख्या 48, खसरा नम्बर 357 358 खेत्त किता 2 कुल रकबा 2.1772 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से में पारिवारिक बंटवारे में आए हिस्से की भुमि का वादग्रस्त आराजी का पत्थर गढ़ी कराने आदेश फरमावे। अतः श्री मान से निवेदन है कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा भैंसला में खाता संख्या 48, खसरा नम्बर 357. 358 खेत किता 2. कुल रकबा 2.1772 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से में हम प्रार्थीगण का पारिवारिक बंटवारे में आए हिस्से की वादग्रस्त भुमि की आराजी का पत्थर गढी कराने आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी तहसीलदार सीमलवाड़ा को तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार सीमलवाड़ा का जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दिनांक 23.07.2024 वास्ते बहस नियत की गयी।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में पेमाईश के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किए है एवं तहसीलदार सीमलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी ने, प्रार्थी का जिस पक्षकार से विवाद रहता है, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा होना बताया है तथा शेष 1/2 हिस्से के खातेदार सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसे में सभी पक्षकारों को सुने बिना पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। अतः समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे। आदेश आज दिनांक 23/07/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा